विस्तृत विज्ञापन

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांकः संयुक्त विज्ञापन सं.:– 07/भर्ती/2015–16 **दिनांक : 10.02.2016**

आयोग द्वारा निम्नलिखित पदों पर भर्ती हेतु **ऑनलाइन आवेदन** आमंत्रित किए जाते हैं :–

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर के लिए पद क्रम संख्या 1 से 8 तक के पदों की **राजस्थान फोरेन्सिक साईन्स सेवा नियम, 1979 के अन्तर्गत**, खान एवं भू विज्ञान विभाग, उदयपुर के लिए पद क्रम संख्या 9 से 11 तक के पदों की **राजस्थान खान एवं भू–विज्ञान सेवा नियम, 1960** के अन्तर्गत, कारखाना एवं बायलर्स निरीक्षण विभाग के लिए पद क्रम संख्या 12 से 14 तक के पदों की **राजस्थान सर्विस ऑफ इन्स्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज एण्ड बायलर्स एण्ड इन्सपेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज (केमिकल) नियम, 1958** के अन्तर्गत, कृषि विभाग के लिए पद क्रम संख्या 15 व 16 के पदों की **राजस्थान कृषि सेवा नियम, 1960** के अन्तर्गत, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए पद क्रम संख्या 17 के पदों की **राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965** के अन्तर्गत तथा नगर नियोजन विभाग के लिए पद क्रम संख्या 18 के पदों की **राजस्थान नगर नियोजन अधीनस्थ सेवा नियम, 1974** के अन्तर्गत भर्ती। पद स्थाई/अस्थाई – स्थाई होने की संभावना। विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार है:– (पदों में कमी/वृद्धि की जा सकती है)

पद क्र. सं.	पद का नाम	कुल पदों की संख्या	अनारक्षित पद				आरक्षित पदों की संख्या (राजस्थान के)														विशेष योग्यजन
							अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				पिछड़ा वर्ग				विशेष पिछड़ा वर्ग	
			सा.	महिला			सा.	महिला			सा.	महिला			सा.	महिला				
				सा.	वि.	परि.		सा.	वि.	परि.		सा.	वि.	परि.		सा.	वि.	परि.		
1	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी रसायन खण्ड	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
2	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी भौतिक खण्ड	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी विष खण्ड	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी सीरम खण्ड	4	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
5	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी अस्त्रक्षेप खण्ड	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी जैविक खण्ड	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
7	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी प्रलेख खण्ड	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी फोटो खण्ड	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	वरिष्ठ रसायनज्ञ	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 (HI)
10	रसायनज्ञ	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 (HI)
11	भू–वैज्ञानिक	14	7	2	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	1 (LD/CP)
12	निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स	18	8	3	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	1 (B/LV)
13	सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा संग्रहालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र, कारखाना एवं बायलर्स	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	निरीक्षक कारखाना (रसायन)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	कृषि अनुसंधान अधिकारी (उद्यान)	7	4	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1 (LD/CP)
16	सांख्यिकी अधिकारी (कृषि विभाग)	12	6	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	1 (B/LV)
17	ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट	7	4	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1 OL/BL/OA)
18	नगर नियोजन सहायक	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1(LD/CP) OL

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं –

(i)	**पद क्रम संख्या 1 के लिए :–**	(a) M.Sc. IInd division in Chemistry from a University established by Law in India. (b) Two year's experience of working in a Forensic Science Laboratory of a state or central Government or similar experience in public Undertaking or Corporation.
	पद क्रम संख्या 2 के लिए :–	(a) M.Sc. IInd division in Physics/Physical Chemistry from a University established by Law in India. (b) Two year's experience of working in a Forensic Science Laboratory of a state or central Government or similar experience in public Undertaking or Corporation.
	पद क्रम संख्या 3 के लिए :–	(a) M.Sc. IInd division in Chemistry from a University established by Law in India. (b) Two year's experience of working in a Forensic Science Laboratory of a state or central Government or similar experience in public Undertaking or Corporation.
	पद क्रम संख्या 4 के लिए :–	(a) M.Sc. IInd division in Zoology/Bio-Chemistry. (b) Two year's experience of working in a Forensic Science Laboratory of a State or Central Government or similar experience in public Undertaking or Corporation.
	पद क्रम संख्या 5 के लिए :–	(a) M.Sc. IInd division in Physics/Mathematics. (b) Two year's experience of working in a Forensic Science Laboratory of a state or central Government or similar experience in public Undertaking or Corporation.
	पद क्रम संख्या 6 के लिए :–	(i) M.Sc. IInd division in Zoology/Bio-Chemistry. (ii) Two year's experience of working in a Forensic Science Laboratory of a State or Central Government or similar experience in public Undertaking or Corporation.
	पद क्रम संख्या 7 के लिए :–	(a) M.Sc. IInd division in Physics/Chemistry from a University established by Law in India. (b) Two year's experience of working in a Forensic Science Laboratory of a State or Central Government or similar experience in public Undertaking or Corporation.
	पद क्रम संख्या 8 के लिए :–	(a) B.Sc. from a University established by Law with Diploma in Photography of a Institute of Repute. (b) Two year's experience in modern Photographic Techniques viz Photomicrography, U.V. and I.R. Photography, X-ray and Spectrographic Photography Ballistics Photography and Cinematography of institute of repute.
	पद क्रम संख्या 9 के लिए :–	1. Post graduate degree in Chemistry or Degree in Chemical Engineering from a University established by Law in India or qualifications declared equivalent thereto by Govt. 2. 5 years' experience in analysis of Rocks and Minerals.
	पद क्रम संख्या 10 के लिए :–	Post graduate degree in Chemistry from a University established by Law or Institute recognised as equivalent by Government.
	पद क्रम संख्या 11 के लिए :–	Post graduate degree in Geology or Applied Geology from a University established by Law in India. Or Diploma in Applied Geology from Indian School of Mines and Applied Geology Dhanbad or a quilification declared equivalent by the Govt.
	पद क्रम संख्या 12 के लिए :–	(a) A degree in Machanical or Production or Power Plant or Metallurgical Engineering from a recognized University or equivalent; and (b) Two Years experience as a technical personnel in the design, construction, erection, operation, testing, repair, maintenance or inspection of boilers or in the implementation of the Boilers Act, 1923 and rules and regulations framed thereunder.
	पद क्रम संख्या 13 के लिए :–	1. Degree in Mechanical or Electrical or Chemical Engineering of a University established by law in India or qualifications recognized as equivalent thereto by the Government. 2. Diploma in Industrial Safety given by Central Labour Institute, Bombay or recognized equivalent by the Government and 3. Two Years' Practical experience in handling various aspects of Industrial Safety in Technical Institute or repute.
	पद क्रम संख्या 14 के लिए :–	B.E. (Chemical) of a University established by law in India or qualifications declared equivalent thereto by the Govt.
	पद क्रम संख्या 15 के लिए :–	IInd Class M.Sc. (Agri) with Horticulture of a University established by Law in India.
	पद क्रम संख्या 16 के लिए :–	IInd Class Post Graduate degree in Maths with Statistics or IInd Classs M.Sc. (Agri) with special subject in Statistics or M.Sc. in Statistics of a University established by law in India.

	पद क्रम संख्या 17 के लिए :–	Secondary or its equivalent with Diploma in Occupational Therapy from an Institution recognized by Government.
	पद क्रम संख्या 18 के लिए :–	Intermediate in Architecture or Diploma in Architectural Assistantship (3 years' course) from a recognised Institution with 2 years' experience as Draftsman in Town Planning/Architect's Office. **OR** Polytechnic Diploma in Civil Draftsmanship with 3 years' experience as Draftsman in Town Planning/ Architect's Office. **OR** Draftsman Certificate (Civil) from National Council of Vocational Trade with 5 years' experience as Draftsman in Town Planning/ Architect's Office. **पद क्रम संख्या 1 से 9, 12, 13 व 18 के लिए आवश्यक नोट :– प्रार्थी को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् निर्धारित अनुभव आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है, अन्यथा अपात्र।**
(ii)	उक्त सभी पदों के लिए :–	**Working knowledge of Hindi written in Devnagari Script and knowledge of Rajasthani Culture.**

रनिंग पे–बैण्ड	पद क्रम संख्या 1 से 8 तक के लिए :– रनिंग पे–बेण्ड–3 (15600–39100) ग्रेड पे रू. 6000/– पद क्रम संख्या 9 के लिए – रनिंग पे–बेण्ड–3 (15600–39100) ग्रेड पे रू. 6600/– पद क्रम संख्या 10 से 15 तक के लिए – रनिंग पे–बेण्ड–3 (15600–39100) ग्रेड पे रू. 5400/– पद क्रम संख्या 16 के लिए – रनिंग पे–बेण्ड–2 (9300–34800) ग्रेड पे रू. 4800/– पद क्रम संख्या 17 व 18 के लिए – रनिंग पे–बेण्ड–2 (9300–34800) ग्रेड पे रू. 4200/–
आयु सीमा	पद क्रम संख्या 1 से 8 तक के लिए :– दिनांक 01.01.2017 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 37 वर्ष से कम। पद क्रम संख्या 9 से 11 के लिए :– दिनांक 01.01.2017 को न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम 42 वर्ष से कम। पद क्रम संख्या 12 से 14 तक के लिए :– दिनांक 01.01.2017 को न्यूनतम 23 वर्ष एवं अधिकतम 37 वर्ष से कम। पद क्रम संख्या 15 व 16 के लिए :– दिनांक 01.01.2017 को न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष से कम। पद क्रम संख्या 17 व 18 के लिए :– दिनांक 01.01.2017 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष से कम।

आयु सीमा में छूट के प्रावधान (उक्त सभी पदों के लिए)

क्र.सं.	अभ्यर्थियों का वर्ग		अधिकतम आयु में देय छूट (वर्षों में)
1	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरूष		5
2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की महिला		10
3.	सामान्य वर्ग की महिला		5
4.	विधवा एवं विछिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला		अधिकतम आयु सीमा नहीं
5.	निःशक्तजन	सामान्य	10
		पिछड़ा/विशेष पिछड़ा वर्ग	13
		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	15
	नोट :– राजस्थान निःशक्तजन व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के नियम 39 में प्रावधान इस प्रकार है– "Provided that in cases of exceptional hardship the State Government may further relax the age limit."		

अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान

1	भूतपूर्व कैदी जो दण्डित् होने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (Substantive) रूप से कार्य कर चुका हो और नियमों के तहत् नियुक्ति के योग्य था, के मामले में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी। **(पद क्र.सं. 1 से 18 तक के लिए)**
2	अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित् होने से पूर्व वयोत्तर नहीं था और इन नियमों के तहत् नियुक्ति के योग्य था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी। **(पद क्र.सं. 1 से 18 तक के लिए)**
3	इस सेवा के किसी पद पर **अस्थाई नियुक्त व्यक्ति** यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जावेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे। **(पद क्र.सं. 1 से 18 तक के लिए)**
4	**एन.सी.सी के कैडिट प्रशिक्षकों** के मामले में उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एन.सी.सी. में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जायेगी और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जायेगा। **(पद क्र.सं. 1 से 18 तक के लिए)**
5	**निर्मुक्त आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों** और **लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों** को सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात आयु सीमा में ही समझा जायेगा चाहे उन्होने आयोग के समक्ष उपस्थित होने के समय आयु सीमा पार कर ली हो बशर्ते कि वे सेना में कमीशन ग्रहण के समय आयुसीमा की दृष्टि से पात्र थे। **(पद क्र.सं. 1 से 18 तक के लिए)**
6	**राजस्थान राज्य के कारोबार में संस्थाई (सब्स्टेन्टिव)** रुप से सेवारत व्यक्तियों के मामलों में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। **(पद क्र.सं. 1 से 8 तक व 12 से 18 तक के लिए)**
7	पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्य कलापों के सम्बन्ध में संस्थाई रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। **(पद क्र.सं. 1 से 8 तक व 12 से 18 तक के लिए)**
8	रिजर्विस्ट्स जिनका रक्षा सेवा कर्मचारी दल से रिजर्व में ट्रान्सफर हो गया है, के मामले में अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी। **(पद क्र.सं. 1 से 8 तक व 12 से 16 तक के लिए)**
9	इस विभाग में जो कार्य कर रहे हैं और सीधी भर्ती से भरे जाने वाले उच्च पदों के लिए आवेदन करें, उनको अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी। **(पद क्र. सं. 12 से 14 तक के लिए)**
10	सन् 1971 में हुए भारत पाक युद्ध के मध्य पाकिस्तान से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी। **(पद क्र. सं. 17 व 18 के लिए)**
11	कीनिया, टंगानिका, उगाण्डा और जंजीबार के पूर्वी अफ्रीकी देशों से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्ति के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी। **(केवल पद क्र. सं. 17 के लिए)**
12	That the upper age limit mentioned above shall be relaxed upto 45 years for the persons repatriated from Burma and Ceylon on or after 1-3-1963 and East African countries of Kenya, Tanganyika, Uganda and Zanzibar with a further relaxation upto 5 years in the case of persons belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. **(केवल पद क्र. सं. 18 के लिए)**

नोट –

(1) उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

(2) ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ शासन से प्राप्त पदों के वर्गीकरण (Category wise) के अनुसार ही देय होगा अर्थात् अगर किसी वर्ग (Category) के लिए कोई पद आरक्षित नहीं होगा तो उस वर्ग के अभ्यर्थी को ऊपरी आयु सीमा में तत्सम्बन्धी छूट का लाभ देय नहीं होगा।

(3) राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ. 7/6/कार्मिक/ए–II/2008 दिनांक–23.09.2008 के क्रम में जारी अधिसूचना के अनुसार "जिस भर्ती की वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नही हुई हो और यदि कोई अभ्यर्थी उस वर्ष की आयु की दृष्टि से पात्र था, तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जावेगा, किन्तु यह छूट तीन वर्ष से अधिक नही दी जाएगी।"

पद क्रम संख्या 1 से 10, 12, 14, 15, 16 व 18 के पद आयोग द्वारा वर्ष 2010 या उससे पूर्व में विज्ञापित किए गए थे। *तत्पश्चात् इन पदों का कोई विज्ञापन आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया था।* अतः राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23–09–2008 के अनुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2017 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में **तीन वर्ष** की छूट देय होगी। **पद क्रम संख्या 11** के पद आयोग द्वारा वर्ष 2013–14 में विज्ञापित किए गए थे, जिसके तहत् आयु की गणना दिनांक 01.01.2014 को की गई थी। अतः राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.9.2008 के अनुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2017 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में **दो वर्ष** की छूट देय होगी। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ. 7/6/कार्मिक/ए–II/2008 दिनांक – 23.09.2008 के अनुसार **पद क्रम संख्या 13 व 17** के *पदों हेतु उपरोक्त **अधिकतम आयु सीमा में कोई छूट देय नहीं होगी** क्योंकि उक्त पद आयोग द्वारा प्रथम बार विज्ञापित किए जा रहे हैं।*

अन्य विवरण

शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान (पद क्रम संख्या 10, 11, 14, 15, 16 एवं 17 हेतु)	उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के **अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला** व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित **साक्षात्कार से पूर्व** शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा। **स्पष्टीकरण**:– उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगे, जो आवेदक **आवेदन–पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक** पद की वांछित योग्यता की परीक्षा के अन्तिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे।
चयन प्रक्रिया	अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा। यदि विज्ञापन के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होगी तो आयोग संवीक्षा परीक्षा आयोजित कर अभ्यर्थियों की संख्या यथोचित सीमा तक कम कर सकता है। संवीक्षा परीक्षा **अजमेर** में आयोजित किए जाने की संभावना है। आयोग अपने स्वविवेक से परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन भी कर सकता है। संवीक्षा परीक्षा तिथि की घोषणा यथासमय कर दी जाएगी।
संवीक्षा परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम	यह संवीक्षा परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में **(Online/Offline)** ली जायेगी। **सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।** विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाईट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा।
आवेदन अवधि	**दिनांक 15–02–2016 से दिनांक 15–03–2016** रात्रि **12–00** बजे तक।
आवेदन प्रक्रिया	**1. ई–मित्र केन्द्रों पर परीक्षा शुल्क जमा करने की अन्तिम दिनांक 13.03.2016 होगी एवं ऑन–लाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक 15.03.2016 होगी।** **2. आयोग द्वारा परीक्षा शुल्क हेतु नेट बैंकिंग/ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा कराने की पूर्व में जारी नेट–बैंकिंग सुविधा के स्थान पर अब राज्य सरकार की ऑन–लाईन ई–ग्रास (Government Receipts Accounting System) से जमा कराई जायेगी। इसके अतिरिक्त ई–मित्र पोर्टल पर उपलब्ध नेट बैंकिंग सुविधा से भी परीक्षा शुल्क जमा कराया जा सकता है।** **3. अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा शुल्क जमा करने की सुविधाओं में किसी भी प्रकार का शुल्क रिफण्ड नहीं किया जायेगा।**
आवेदन पत्र में ऑनलाईन संशोधन	ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन **दिनांक 16–03–2016 से दिनांक 15–04–2016** रात्रि **12–00** बजे तक।

("आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार परिवर्तनीय होगी, तदनुरूप भर्ती/परीक्षा आयोजित की जावेगी जिसके लिए यथासमय सूचित कर दिया जावेगा।")

विशेष नोट :– डिप्लोमा धारी अभ्यर्थी ऑन लाईन फॉर्म भरते समय सीनियर सैकेण्डरी अथवा स्नातक के कॉलम में अपने डिप्लोमा का उत्तीर्ण वर्ष भरें।

विशेष सूचना :– **"यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् 30 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क देकर Online/Offline संशोधन कर/करवा सकता है। आवेदन पत्र में संशोधन एवं विकलांग/विधवा के वर्ग में संशोधन के संबंध में आयोग की वेब–साईट पर उपलब्ध Instruction for Applicants में अभ्यर्थियों के लिए आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश के तहत् आवेदन प्रक्रिया संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश के बिन्दु संख्या 7 'ऑन लाईन आवेदन संशोधन की प्रक्रिया' एवं 'Guidelines for Edit Application' का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें एवं उक्त निर्देशों में अंकित अंतिम दिनांक तक ही त्रुटि संशोधन स्वीकार्य होंगे इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।"**

अन्य बिन्दु व सूचना :– परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर जारी **परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश** तथा **सम्बन्धित सेवा नियमों** का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त समय–समय पर जारी इस परीक्षा से संबद्ध सूचनाओं को आयोग की वेबसाइट **http://www.rpsc.rajasthan.gov.in** या **http://rpsconline.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा **दूरभाष सं.– 0145–5151212 एवं 5151200** पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

(भगवत सिंह राठौड़)
सचिव